न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 66–पीबीआर/1996 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–07–1996 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 399/अपील/1995–96

.....

1–नूर मोहम्मद पुत्र हीराजी
2–गनी मोहम्मद पुत्र नूरमोहम्मद
निवासीगण गदईशाह पिपल्या तहसील
व जिला देवास

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मुंशी पुत्र हीरा पटेल
निवासी गदईशाह पिपल्या तहसील
व जिला देवास

..... अनावेदक

.....

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 8/9/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–1996 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी जिला देवास के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर जाने हेतु मार्ग जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, को खुलवाया जाये । साथ ही संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण

कमांक 14/अ–13/1995–96 दर्ज कर दिनांक 19–6–1996 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–7–1996 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया । साथ ही दो माह में प्रकरण का अंतिम निराकरण करने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 50 (1) के परन्तुक 3 के अनुसार बिना दूसरे पक्ष को सुने आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, अतः अपर आयुक्त द्वारा बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित करने में उक्त आज्ञापक प्रावधान की अवहेलना की गई है, अतः इसी कारण अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 19–6–1996 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अंतरिम रास्ता खुलवाये जाने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–7–1996 को आदेश पारित कर अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने के आदेश देते हुये 2 माह में प्रकरण का अंतिम निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रकरण वर्ष 1996 से लगभग 20 वर्ष से लंबित है, अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे

उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर 3 माह के भीतर प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–1996 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर